प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांकः- 28.09.2024**

जनपदीय पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान में 11 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.09.2024 को जनपदीय पुलिस द्वारा 11 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत हैः-

क्र0सं0	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	नूरपुर	दिलशाद पुत्र शमशुद्दीन नि0 गुनियाखेडी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
2	नूरपुर	दयावती पत्नी रणजीत निवासी ग्राम धमरौला थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
3	बढ़ापुर	महीपाल उर्फ सत्यपाल पुत्र सौनाथ नि0 खत्रीवाला थाना बढापुर जनपद बिजनौर
4	बढ़ापुर	संजय पुत्र राजपाल निवासी धर्मूवाला थाना बढापुर जनपद बिजनौर
5	अफजलगढ़	इस्लाम पुत्र मौ0 उमर निवासी ग्राम नवाबपुरा थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर
6	अफजलगढ़	अरुण कुमार पुत्र विनोद कुमार नि0 मौ0 गौहर अली खां कस्बा व थाना अ0गढ
7	नहटौर	अकरम पुत्र मुल्ला रफीक नि0 मौ0 नोधा कस्बा व थाना नहटौर जनपद बिजनौर
8	नहटौर	रोबिन पुत्र जगत सिंह निवासी ग्राम महमूदपुर थाना नहटौर जनपद बिजनौर
9	रेहड़	सचिन पुत्र विजयपाल सिंह नि0 नारायणवाला थाना रेहड जनपद बिजनौर
10	चांदपुर	जसवन्त सिंह पुत्र राम सिंह निवासी वून्दूराकला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
11	चादंपुर	तेजपाल पुत्र समरपाल निवासी ग्राम रायपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

थाना नूरपुर

थाना बढ़ापुर

थाना अफजलगढ़

थाना अफजलगढ़

थाना नहटौर

थाना रेहड़

थाना चांदपुर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना अफजलगढ **दिनांक- 28.09.2024**

थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा “ऑपरेशन क्लीन” के अन्तर्गत आबकारी अधिनियम के 148 मालों को कराया नष्ट।

कार्यवाहीः-

जनपद में मालों के निस्तारण हेतु चलाये जा रहे “ऑपरेशन क्लीन” अभियान के क्रम में माननीय न्यायालय एसीजेएम नगीना बिजनौर के माल निस्तारण (नष्टीकरण) आदेश प्राप्त कर मालों को नष्ट कराने की समस्त प्रक्रियाओं को पूर्ण कराने के उपरान्त पुलिस व प्रशासनिक टीम की उपस्थिति में थाना अफजलगढ पर आबकारी अधिनियम के कुल 148 मालों (कुल 3000 लीटर देशी/कच्ची शराब) को नष्ट कराया गया।

उल्लेखनीय है कि थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा माह सितम्बर में 17 वाहनों का भी विधिक निस्तारण किया जा चुका है।

माल निस्तारण टीम का विवरणः-

1.उपजिलाधिकारी धामपुर जनपद बिजनौर।

2.क्षेत्राधिकारी अफजलगढ जनपद बिजनौर।

3.श्री उपेन्द्र कुमार शुक्ल, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र धामपुर जनपद बिजनौर।

4.श्री योगेश कुमार थाना प्रभारी अफजलगढ जनपद बिजनौर।

5.श्रीपाल सिंह, व0उ0नि0 थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

6.एचएम 740 राजबहादुर सिहं (मालखाना मोहर्रिर) थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

7.का0 1619 प्रवीण कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर **दिनांक – 28.09.2024**

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 438/24 धारा 352/351(3)/125 बीएनएस में वांछित अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 31.08.2024 को मुखबिर ने थाना चांदपुर पुलिस को सूचना दी कि दिनांक 29.08.2024 को ग्राम बास्टा मे लगने वाले जाहर दीवान के मेले मे 1.नरेन्द्र पुत्र समरपाल 2.वीरेन्द्र पुत्र समरपाल 3.फौजी पुत्र नरेन्द्र 4.रवि पुत्र शीशपाल निवासीगण ग्राम महबुल्लापुर ढाकी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर द्वारा मेले मे आने जाने वाले लोगो के साथ बदत्तमीजी व गाली गलौच कर रहे थे। जिसका आने जाने वाले लोगो ने विरोध किया तो उक्त लोग मौके पर मौजूद लोगो को जान से मारने की धमकी देते हुये अवैध तमंचे से हर्ष फायर करते हुए मौके से भाग गये, जिससे मौके पर अफरा तफरी भी मच गयी थी। इस सम्बंध मे थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 438/2024 धारा 352/351(3)/125 बीएनएस बनाम नरेन्द्र आदि उपरोक्त कुल 04 नफर पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 28.09.2024 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त नरेन्द्र पुत्र समरपाल निवासी ग्राम महबुल्लापुर ढाकी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को घटना मे प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 खोखा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

नरेन्द्र पुत्र समरपाल निवासी ग्राम महबुल्लापुर ढाकी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

अभियुक्त नरेन्द्र का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 732/15 धारा 379/411/356 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 584/15 धारा 307/411 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0 585/15 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
4. मु0अ0सं0 134/15 धारा 392/411 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
5. मु0अ0सं0 438/24 धारा 352/351(2)/125 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री गुरुचरन सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2. का0 2123 अंकुर कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
3. का0 2295 आकाश कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर **दिनांक – 28.09.2024**

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 926/2024 धारा 74/351(2)/78 बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 27.09.2024 को वादिनी द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री (उम्र करीब 15 वर्ष) के साथ अभियुक्त मिन्टु पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम जमालपुर पठानी थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर द्वारा छेडखानी व पीछा करने एवं जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 926/2024 धारा 74/351(2)/78 बीएनएस व 7/8 पॉक्सो अधिनियम बनाम मिन्टु उपरोक्त पंजीकृत कराया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 28.09.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बंधित अभियुक्त मिन्टु पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम जमालपुर पठानी थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मिन्टु पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम जमालपुर पठानी थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 प्रशान्त कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर

2.म0उ0नि0 ममता थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर

3.कां0 359 केशव कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट–थाना चांदपुर दिनॉक 28.09.2024

थाना चांदपुर क्षेत्र की सोशल मीडिया पर अवैध शस्त्र सहित वायरल वीडियो से संबंधित अभियुक्त को एक अवैध तमंचा 12 बोर व 02 जिंदा कारतूस सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 27.09.2024 को थाना चांदपुर क्षेत्र के ग्राम बमनौला निवासी अंकित पुत्र यशपाल की सोशल मीडिया पर अवैध शस्त्र से फायरिंग किये जाने की वीडियो वायरल हुई। वायरल वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया।

आज दिनांक 28.09.2024 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त अंकित पुत्र यशपाल सिंह निवासी ग्राम बमनौला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमंचा 12 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 511/24 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1.अंकित पुत्र यशपाल सिंह निवासी ग्राम बमनौला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण–

1. 01 तमंचा 12 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.उ0नि0 राजेन्द्र सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
2.मुख्य आरक्षी 467 रामकुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
3.मुख्य आरक्षी 505 मंजीत सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
4.आरक्षी 1221 आशीष थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
5.आरक्षी 2302 दिनेश बंसल थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।